

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 198769 पटना, दिनांक 01/09/2014  
सं0सं0-गा0वि-7-(SGSY)- 02/08 खंड- 1

प्रेषक,

ब्रन्दना प्रेयसी (भा0प्र0से0),  
आयुक्त, स्वरोजगार ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,  
दरभंगा ।

विषय :- स्वर्णजयती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) के अंतर्गत दिनांक-31.03.2013 के बाद अव्यवहृत अवशेष राशि को SRLM खाते में हस्तांतरण के संबंध में ।

प्रसंग :- BRLPS/Proj/490/13/5786 दिनांक- 06.03.2014, विभागीय पत्रांक- 182310 दिनांक- 02.04.2014, पत्रांक- 186925 दिनांक- 02.06.2014, पत्रांक- 189455 दिनांक- 25.06.2014 एवं पत्रांक- 190864 दिनांक- 03.07.2014


महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में कहना है कि SGSY योजना के अंतर्गत दिनांक- 31.03.2013 के बाद अव्यवहृत अवशेष राशि को SRLM खाते में हस्तांतरण करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु आपके जिले से वांछित प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है । यह अत्यन्त ही खेदजनक है कि बिहार राज्य में एक मात्र आपके जिले से SGSY की अवशेष राशि SRLM खाते में आज तक हस्तांतरित नहीं की गई है ।

अतएव आपसे अनुरोध है कि दो दिनों के अंदर अवश्य ही राशि हस्तांतरित कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय । प्रतिवेदन विभाग को अनिवार्य रूप से ई-मेल भी किया जाय ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

  
(ब्रन्दना प्रेयसी)

आयुक्त, स्वरोजगार ।